पितृसत्तात्मक सोच पर सवाल उठाता एक फैसला



हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है। यह बताता है कि परिवार की गहरी जड़ें जमा चुकी और भ्रामक मान्यताएं किस तरह कामकाजी महिलाओं के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं।

यह लेख समाज में महिलाओं के प्रति मौजूद उस पितृसत्तात्मक सोच पर सवाल उठाता है, जिसके अनुसार शादी और मातृत्व के बाद महिला की प्राथमिक जिम्मेदारी केवल परिवार और बच्चों की देखभाल करना है।

मामला क्या है ?

एक व्यक्ति अपनी अलग रह रही पत्नी को उनके बच्चे का पासपोर्ट देने से इनकार कर रहा था। वर्ष 2019 से दोनों के बीच अपने बेटे की कस्टडी को लेकर विवाद चल रहा है।

महिला पेशे से डॉक्टर हैं, और अपने बेटे को साथ लेकर नई नौकरी के लिए ब्रिटेन जाना चाहती हैं। वहीं, पति चाहता था कि पत्नी बच्चे की कस्टडी छोड़ दे।

महिला का तर्क था कि ब्रिटेन में मिलने वाली नौकरी उनके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी और इससे उनके बेटे का भविष्य भी सुरक्षित होगा।

इस पर न्यायालय ने कहा है कि 'शादी और मातृत्व का मतलब यह नहीं है कि महिला को किसी एक स्थान तक सीमित रहना पड़े।'

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु -

- यह मामला भले ही असामान्य हो, लेकिन इसके पीछे छिपी परिस्थितियां बिल्कुल आम हैं। परिवार की अपेक्षाओं और एक कामकाजी महिला की आकांक्षाओं के बीच इस तरह का टकराव मध्यमवर्गीय और संपन्न परिवारों में भी देखने को मिलता है।
- अक्सर पुरुष और महिलाएं, दोनों ही इस अंतहीन उलझन में फंसे रहते हैं कि उन्हें परिवार द्वारा निर्धारित भूमिकाएं निभानी हैं। ये भूमिकाएं पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा तय की जाती हैं और पीढ़ियों से समाज में चली आ रही हैं।

  एशिया की कई छोटी-छोटी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में यह गलत धारणा गहराई से बैठी हुई है कि यदि कोई महत्वाकांक्षी महिला घरेलू जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित होती है, तो इससे परिवार प्रभावित होता है।

- नौकरी के लिए दूसरे शहर या देश में जाना? इसे परिवार की निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन माना जाता है।

  अंततः परिवार की जिम्मेदारियां निभाने का अर्थ यह नहीं है कि महिला अपने करियर, आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आकांक्षाओं का त्याग कर दे। महिला को भी अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने और अपने भविष्य का निर्माण करने का पूरा अधिकार है।

'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 12/10/26